[2020] 13 एस. सी. आर 951

राजस्थान और ओआरएस का राज्य।

वी.

हेम सिंह

(2020 की सिविल अपील संख्या 3340)

29 अक्टूबर, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

सेवा कानून-अनुशासनात्मक जांच के बाद सेवा से बर्खास्त-प्रतिवादी को राज्य पुलिस सेवा में एक कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था-यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी स्वीकृत छुट्टी से 3 दिनों की अवधि से अधिक समय तक रहा-कुछ दिन

इसके बाद, उन्हें हत्या के अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया। s.302 आई. पी. सी -

यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी और पीड़ित-मृतक के बीच भूमि को लेकर विवाद था-इसके अलावा, प्रतिवादी के पिता को सांप ने काट लिया था और पीड़ित ने जादू-टोना का उपयोग करके उनके साथ व्यवहार किया था, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, जिससे प्रतिवादी के पिता की मृत्यु हो गई-अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रतिवादी को इस घटना के कारण पीड़ित के प्रति दुर्भावना थी और उसने उसे मारने की घोषणा की थी -

घटना-अभियोजन पक्ष के गवाहों के उत्तराधिकार को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था (पीडब्लू 3,4,5,17,18,19,20,22,23 और 34) और न्यायालय ने विसंगतियों के आधार पर पीडब्लू-1 के साक्ष्य पर भरोसा करना असुरक्षित पाया।

अपने साक्ष्य में-प्रत्यर्थी को संदेह का लाभ दिया गया और उसे बरी कर दिया गया-हालाँकि, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही में, जांच अधिकारी ने पाया कि कदाचार के आरोपों से साबित होता है कि पुलिस बल के सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी ने छुट्टी पर रहते हुए हत्या का कार्य किया था-परिणामस्वरूप, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था-प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील और समीक्षा को खारिज कर दिया गया था-प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को भी खारिज कर दिया गया था

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा-हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया और प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया

परिणामी लाभ लेकिन बिना वेतन के-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रमाण का मानक इससे अलग है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक मुकदमे का प्रमाण-जबकि आपराधिक मामले में सबूत का मानक सभी उचित संदेह से परे एक सबूत है, एक विभागीय कार्यवाही में सबूत संभावनाओं का एक प्रमुख प्रमाण है-तत्काल मामले में, प्रतिवादी और उसके खड़े ट्रैक्टर को समय पर और उस स्थान के संदर्भ में निकट देखा गया था जहां पीड़ित का शव पीडब्ल्यूआई और पीडब्ल्यू 3 दोनों को मिला था-प्रतिवादी को साथ में पाया गया था

समय पर निकटवर्ती सह-अभियुक्तों में से एक-ये परिस्थितियाँ हत्या के समय और उसके आसपास प्रत्यर्थी की गतिविधियों के साथ जुड़ी होती हैं, जिसकी शुरुआत हत्या के साथ 2 दिनों के लिए छुट्टी पर गाँव में रहने तक सीमित नहीं होती है-यह सत्र मुकदमे में हत्या के आरोप में दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है-लेकिन, राज्य के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि घटना के प्रति प्रत्यर्थी का संबंध उसके पुलिस बल की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा-ऐसे कर्मचारी की सेवा में बहाली से पुलिस बल की छवि की विश्वसनीयता और जनता के विश्वास को नुकसान होगा-इसलिए, विभाग का निर्देश

बहाली के लिए बेंच को अलग रखा गया है।

अनुशासनात्मक मामलों पर न्यायिक समीक्षा में-आयोजितः स्पेक्ट्रम के दो छोर-पहला संयम का एक नियम है जो एक तथ्य खोजने वाले प्राधिकरण के रूप में अनुशासनात्मक प्राधिकरण की स्थिति के सम्मान पर स्थापित किया गया है।

और सेवा के अनुशासन और दक्षता को बनाए रखने में नियोक्ता की स्वायत्तता-स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर यह सिद्धांत है कि अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है जब जांच में निष्कर्ष किसी भी सबूत पर आधारित नहीं होते हैं या जब वे विकृति से पीड़ित होते हैं-महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने में विफलता एक ऐसी घटना है जिसे कानून एक विकृत निर्धारण के रूप में मानता है। तथ्य-सेवा न्यायशास्त्र ने अदालत के हस्तक्षेप करने के अधिकार को मान्यता दी है जब निष्कर्ष या दंड साक्ष्य या कदाचार के भार के अनुपात में नहीं होता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः अनुशासनात्मक जाँच में साक्ष्य

1. साक्ष्य की पूरी समीक्षा से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी और पीड़ित के बीच पहले से ही शत्रुता थी मृतक। यह शत्रुता शुरू में भूमि विवाद के संदर्भ में उत्पन्न हुई थी। प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के बाद उनके बीच शत्रुता तेजी से बढ़ गई, जिसके लिए उन्होंने पीड़ित को दोषी ठहराया। यह स्पष्ट रूप से इस हद तक बढ़ गया कि प्रतिवादी ने खुले तौर पर राजस्थान और ओआरएस का राज्य जारी किया।

वी. हेम सिंह

अपनी सुरक्षा के लिए जवाबदेह। जहाँ तक पीड़ित की मृत्यु की घटना का संबंध है, प्रतिवादी और उसके खड़े ट्रैक्टर को समय पर और उस स्थान के संदर्भ में निकट देखा गया जहाँ पीडब्लू1 और पीडब्लू3 दोनों को पीड़ित का शव मिला था। प्रतिवादी को समय पर सह-अभियुक्त निकटवर्ती में से एक के साथ पाया गया। ये परिस्थितियाँ प्रत्यर्थी के साथ जुड़ी हुई हैं हत्या के समय और उसके आसपास आंदोलन, हत्या के साथ दो दिनों के लिए छुट्टी पर गाँव में रहने के साथ शुरू हुआ लेकिन सीमित नहीं था। यह पर्याप्त नहीं हो सकता है।

सत्र विचारण में हत्या के आरोप में दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए। लेकिन राज्य के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि घटना से प्रतिवादी का संबंध उसके पुलिस बल की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा और बल के सदस्य के रूप में प्रतिवादी की उपस्थिति के हित में नहीं था लोक प्रशासन। क्या साक्ष्य के आधार पर, प्रतिवादी को साजिश में फंसाया जा सकता था

पीड़ित की हत्या करना मामले का एक पहलू है। स्पष्ट रूप से साजिश के आरोप को बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य मुश्किल है

आपराधिक मुकदमे के दौरान भी आते हैं। इससे काफी स्वतंत्र मुद्दा यह है कि क्या प्रत्यर्थी का संबंध है पीड़ित की मृत्यु की परिस्थितियों ने उसकी अखंडता और प्रतिष्ठा को प्रभावित किए बिना राज्य पुलिस बल में बने रहने की उसकी क्षमता को प्रभावित किया। बाद वाला पहलू वह है जिस पर खंड पीठ के फैसले में अपने तर्क में कमी पाई गई है। [पैरा 28] [979-ई-एच; 980-ए-सी]

अनुशासनात्मक मामलों पर न्यायिक समीक्षा

2. अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने में, स्पेक्ट्रम के दो छोर हैं। पहला एक नियम का प्रतीक है

संयम रखें। दूसरा परिभाषित करता है कि कब हस्तक्षेप की अनुमति है। निरोध का नियम न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करता है। यह एक उचित कारण के लिए है। कदाचार किया गया है या नहीं इसका निर्धारण मुख्य रूप से के क्षेत्र के भीतर निहित है

अनुशासनात्मक प्राधिकरण। न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकारी की जिम्मेदारी नहीं संभालता है। न ही न्यायाधीश नियोक्ता की टोपी पहनता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा तथ्य के निष्कर्ष का बचाव इस विचार की मान्यता है कि यह नियोक्ता है जो [2020] 13 एस. सी. आर.

अपनी सेवा के कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार है। अनुशासनात्मक पूछताछ में प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना होता है। लेकिन वे सबूत के सख्त नियमों द्वारा शासित नहीं होते हैं जो न्यायिक कार्यवाही पर लागू होते हैं। इसलिए सबूत का मानक वह सख्त मानक नहीं है जो उचित संदेह से परे सबूत के आपराधिक मुकदमे को नियंत्रित करता है, बल्कि एक नागरिक मानक है जो

संभावनाओं की प्रधानता। प्रधानता के नियम के भीतर, संदर्भ और विषय के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। स्पेक्ट्रम का पहला छोर सम्मान और स्वायत्तता पर आधारित है-एक तथ्य खोजने वाले प्राधिकरण के रूप में अनुशासनात्मक प्राधिकरण की स्थिति का सम्मान और सेवा के अनुशासन और दक्षता को बनाए रखने में नियोक्ता की स्वायत्तता। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर यह सिद्धांत है कि न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है

हस्तक्षेप तब किया जाता है जब जांच में निष्कर्ष बिना किसी सबूत के होते हैं या जब वे विकृति से पीड़ित होते हैं। महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने में विफलता एक ऐसी घटना है जिसे कानून विकृत मानता है। तथ्य का निर्धारण। आनुपातिकता हमारे न्यायशास्त्र की एक अंतर्निहित विशेषता है। सेवा न्यायशास्त्र ने इसे लंबे वर्षों से अदालत के अधिकार को हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए मान्यता दी है।

जब निष्कर्ष या दंड साक्ष्य या कदाचार के भार के अनुपात में न हो। न्यायिक कला इन दोनों तटों के तटों के बीच एक स्थिर पाल बनाए रखने में निहित है जिन्हें स्पेक्ट्रम के दो छोर कहा गया है। जब न्यायाधीश न्यायिक समीक्षा करते हैं तो वे केवल हस्त मंत्र के पाठ के साथ आराम नहीं करते हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुशासनात्मक जांच में निष्कर्ष कुछ सबूतों पर आधारित है, प्रारंभिक या सीमा स्तर की जांच की जाती है। यह अदालत की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए है कि कदाचार के आरोप का समर्थन करने और विकृति से बचने के लिए कुछ सबूत हैं। लेकिन यह अदालत को अनुशासनात्मक जांच में साक्ष्य संबंधी निष्कर्षों की पुनः सराहना करने या न्यायाधीश को अधिक उपयुक्त प्रतीत होने वाले दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसा करने से पहले वाले को ठेस पहुंचेगी।

सिद्धांत जो ऊपर उल्लिखित किया गया है। अंतिम मार्गदर्शक मजबूत सामान्य ज्ञान का अभ्यास है जिसके बिना न्यायाधीशों की कला व्यर्थ है। [पैरा 33] [982-जी-एच; 983-ए-जी]

दोषमुक्त होने का प्रभाव

3. वर्तमान मामले में प्रतिवादी को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था। जिन परिस्थितियों में मुकदमे के कारण राजस्थान और ओआरएस का राज्य बना।

वी. हेम सिंह

बरी किए जाने के बारे में ऊपर विस्तार से बताया गया है। आपराधिक मुकदमे के फैसले ने अनुशासनात्मक जांच को समाप्त नहीं किया। द.

पीड़ित की मृत्यु से जुड़ी साजिश में प्रतिवादी साबित करना मुश्किल है। लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के अभिलेख से ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं जो राज्य के इस तर्क को वैधता प्रदान करती हैं कि ऐसे कर्मचारी को सेवा में बहाल करने से पुलिस बल की विश्वसनीयता और छवि में जनता का विश्वास कम हो जाएगा। [पैरा 35] [986-सी-ई]

एम. सिद्दीक बनाम सुरेश दास (2020) 1 एस. सी. सी. 1-इसके बाद।

सुरेश पाथरैला बनाम। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (2006)

10 एस. सी. सी. 572 [2006] 7 पूरक। एससीआर 564; समर

बहादुर सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 9 एस. सी. सी. 94: [2011]

11 एस. सी. आर. 136; पी. जॉन चांडी एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम। जॉन

पी. थॉमस (2002) 5 एससीसी 90: [2002] 3 एससीआर 549; मोनी

9 एससीसी 24: [2009] 12 एस. सी. आर. 429; महानिरीक्षक पुलिस वी. एस. समुथिरम (2013) 1 एस. सी. सी. 598: [2012] 11

एस. सी. आर. 174-निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 7 पूरक। एससीआर 564

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

[2011] 11 एससीआर 136

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

(2020) 1 एससीसी 1

पैरा 29

पीछा किया।

(2008) 3 एससीसी 484

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[2002] 3 एससीआर 549

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

[2009] 12 एससीआर 429

उस पर भरोसा करें

पैरा 34

[2012] 11 एससीआर 174

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3340

2020 से। डी. बी. विशेष अपील (रिट) में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 24.04.2019 से

2018 का सं. 577।

आशीष कुमार, ए. ए. जी., मिलिंद कुमार एड. अपीलार्थियों के लिए।

जसमीत सिंह, सैफ अली, पुष्पेंद्र एस. भदौरिया, सुश्री रुषित सलूजा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

वे इस प्रकार हैं:

ए अपील

बी हत्या, मुकदमा और अनुशासनात्मक जांच

सी वकील की प्रस्तुतियाँ

डी अनुशासनात्मक कार्यवाही में कदाचार का प्रमाण

ई अनुशासनात्मक जाँच के निष्कर्ष

एफ डिवीजन बेंच का निर्णय

जी अनुशासनात्मक जाँच में साक्ष्य

एच 'संभावनाओं की प्रधानता' पर

I अनुशासनात्मक मामलों पर न्यायिक समीक्षा

जे. दोषमुक्तिक प्रभाव

के निष्कर्ष

ए अपील

1. यह अपील जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 24 अप्रैल 2019 के एक फैसले से है। द.

प्रतिवादी, जो एक पुलिस कांस्टेबल था, ने अनुशासनात्मक जांच के बाद सेवा से उसकी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 1 फरवरी 2018 के एक फैसले से याचिका को खारिज कर दिया। डिवीजन बेंच ने फैसले को उलट दिया और निष्कर्ष निकाला कि राजस्थान और ओआरएस के राज्य में कोई सबूत नहीं है।

वी. हेम सिंह [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

इस निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अनुशासनात्मक जांच कि प्रतिवादी ने ड्यूटी से छुट्टी पर रहते हुए हत्या की थी। स्वतंत्र रूप से, उन्हें हत्या के आरोप में सत्र मुकदमे में भी बरी कर दिया गया है। डिवीजन बेंच ने प्रत्यर्थी को उनकी समाप्ति के बाद से बीतने वाले सत्रह वर्षों के लिए बिना किसी वेतन के सेवा में बहाली की अनुमति दी। राज्य अपील में आता है।

बी हत्या, मुकदमा और अनुशासनात्मक जांच

2. 1992 में, प्रतिवादी को राजस्थान की पुलिस सेवा में एक सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था। 13 अगस्त 2002 को वह छुट्टी पर चले गए और 16 अगस्त 2002 को उन्हें ड्यूटी पर वापस आना पड़ा। वह ऐसा करने में विफल रहे और अंततः 19 अगस्त 2020 को काम के लिए सूचित हुए। उन्होंने इस आधार पर अपनी छुट्टी पर रोक लगाने की अनुमति मांगी और उन्हें अनुमति दी गई कि उनके बहनोई शंकर सिंह की मृत्यु हो गई थी। 15 अगस्त 2002 को, दौलत सिंह नामक व्यक्ति ने अपने भाई भंवर सिंह की अज्ञात वाहन से दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के संबंध में पुलिस स्टेशन, खमनौर में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शुरू में भारतीय दंड संहिता 1 की धारा 209 और 304 ए के तहत अपराध दर्ज किया था। दौलत सिंह, जोध सिंह, मीरा और हमीर सिंह के बयान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2 की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे। इस दौरान दिखाई दिया

जाँच के दौरान कि मृत्यु हत्या थी। पुलिस द्वारा जांच आई. पी. सी. की धारा 307 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए आगे बढ़ी। प्रतिवादी को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

2002. दो सह-अभियुक्त थे, लोकेश गुरवा और इकबाल खान। जाँच पूरी होने के बाद धारा302,201 और 120 बी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। 2003 का सत्र मामला 3 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाथद्वारा की अदालत में सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया था।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि प्रतिवादी और भंवर सिंह के बीच भूमि को लेकर विवाद था। इसके अलावा, प्रतिवादी के पिता का इलाज भंवर सिंह द्वारा सांप के काटने के लिए किया गया था, लेकिन उनकी जादू-टोना का कोई परिणाम नहीं निकला, जिससे पिता की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रतिवादी को इस घटना के कारण मृतक के प्रति दुर्भावना थी और उसने पहले घोषणा की थी कि वह उसे मार देगा।

4. आपराधिक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, 18 जनवरी 2003 को प्रतिवादी को एक ज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद एक आरोप लगाया गया था

1 " आई. पी. सी "

, नियम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) 1958 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही आयोजित करना। प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप नीचे निकाले गए हैं, जिसमें व्याकरण और अनुवाद की परिचित त्रुटियां हैं:

" 1. कि आप स्टेशन हाउस अधिकारी, पी. एस. देवगढ़ से 13.08.02 पर एक आकस्मिक छुट्टी और एक राजपत्रित छुट्टी स्वीकृत कर अपने घर के लिए रवाना हुए, जिसके अनुसार आपको 16.08.02 पर ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।

ए. एम. लेकिन आप समय पर ड्यूटी में शामिल नहीं हुए और 3 दिनों तक अनुपस्थित रहने के बाद 19.08.02 पर ड्यूटी में शामिल हुए, जो साबित होता है। रिकॉर्ड से।

2. कि अनुपस्थिति अवधि के दौरान भी आपने किसी अधिकारी को अपनी अनुपस्थिति के कारण के बारे में सूचित नहीं किया और प्रस्तुत भी नहीं किया

कोई भी विस्तार, जो अभिलेख से सिद्ध हो।

3. कि आप छुट्टी के दौरान आईडी1 पर अपने आवास पर श्री भंवर सिंह पुत्र चंदन सिंह राजपूत निवासी रावो की गुडली, जो पीडब्ल्यूडी विभाग, नाथद्वारा में काम कर रहे थे और अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे और आपके और भंवर सिंह के बीच भूमि को लेकर विवाद के कारण लोकेश की मदद से, इकबाल ने भंवर सिंह को मारने के लिए उसे भील बस्ती कुंथवा में जीप से मारा, जिससे वह नीचे गिर गया और चिल्लाते हुए आपका साथी इकबाल जीप से लोहे की छड़ लेकर आया और भंवर सिंह के माथे पर मारा जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आप अनुशासित विभाग के कर्मचारी हैं।

और कानून की जानकारी है, आपने ऐसा गंभीर अपराध किया है, जिसके कारण जनता के बीच पुलिस की छवि धूमिल हो गई है।

जो अभिलेख से सिद्ध होता है।

4. कि आप भंवर सिंह की हत्या करने के बाद, आप और आपका साथी मौके से भाग गए और कानून की जानकारी होने पर हत्या को दुर्घटना का रूप दे दिया, जो इससे साबित होता है।

अभिलेख और प्रारंभिक जांच।

5. कि आप उक्त घटना के बाद सच्चाई छिपाते हुए पुलिस स्टेशन देवगढ़ में ड्यूटी 19.08.02 में शामिल होकर और अनुपस्थिति के कारण को भंवर सिंह की दुर्घटना बताकर आपको स्वीकृत अवधि मिलती है।

3 एस. एच. ओ. से आकस्मिक अवकाश के रूप में छोड़ देता है जहाँ आपने हत्या की थी। इस प्रकार, आपने जानबूझकर अपने वरिष्ठ अधिकारी को गुमराह किया है, जो प्रारंभिक जांच और रिकॉर्ड से साबित होता है।

6. यह कि आप अनुशासित विभाग के कर्मचारी हैं, आपको कानून की पूरी जानकारी है और कानून की जानकारी होने के बावजूद आपने एक जघन्य अपराध किया है, जिससे आम जनता के बीच पुलिस विभाग की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है और आपके उक्त कार्य ने आपके लिए नुकसान का कारण बना है। जनता के बीच पुलिस की छवि धूमिल हो गई। आपका उक्त कार्य 'केवल उद्धारक भक्षक' की श्रेणी में आता है, जो इससे साबित होता है

प्रारंभिक जांच और रिकॉर्ड "।

मृतक की बेटियाँ मीरा और पी. डब्ल्यू. 2 पूर्णा देवी अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थीं और उनके साक्ष्य सुनी सुनाई बातें थीं। गवाहों का उत्तराधिकार-पीडब्लू 3 जय सिंह, पीडब्लू 4 बाबूदास, पीडब्लू 5 सुंदरलाल, पीडब्लू 17 जगत सिंह, पीडब्लू 18 किशन सिंह, पीडब्लू 19 बंशी लाल, पीडब्लू 20 शंकर सिंह, पीडब्लू 22 देवी सिंह, पीडब्लू 23 कैसर सिंह और पीडब्लू 34 प्रताप सिंह-को मुकदमे के दौरान शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था। यह मामला कथित चश्मदीद गवाह पीडब्लू21 जोध सिंह के साक्ष्य पर आधारित था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पाया कि घटना से लगभग 2 साल पहले 7 सितंबर 2000 को मृतक ने एस. एच. ओ. को सूचित किया था।

खमनौर पी. एस. अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी से अपनी जान की धमकी दर्ज कर रहा है। एस. एच. ओ. ने सी. आर. पी. सी. की धारा 107 के तहत रिपोर्ट दर्ज की और

कार्यवाही का संचालन किया। हालांकि प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि वहाँ था

प्रतिवादी और मृतक के बीच दुश्मनी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पीडब्लू 21 के साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सह-अभियुक्त के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश ने कहाः

" इस प्रकार, यह सबूत प्रथम दृष्टया है कि आरोपी हीम सिंह की मृतक भंवर सिंह के साथ दुश्मनी है। चाहे इस शत्रुता के कारण हीम सिंह ने सह-अभियुक्त इकबाल की सहायता से जीप से दुर्घटना की बात कहकर सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ साजिश करके भंवर सिंह की हत्या की, इस बिंदु पर इस अदालत का अवलोकन यह है कि आरोपी लोकेश गौरवा, जिसे घटना के समय गवाह जोध सिंह ने जीप चालक के रूप में बताया था, के खिलाफ उस लोकेश गौरवा ने घटना के समय हीम सिंह के साथ संलिप्तता की थी। पी. डब्ल्यू.-21 जोध सिंह द्वारा भंवर सिंह को जीप से मारने की घटना का ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया है। जिरह के दौरान इस बिंदु पर अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कोई स्पष्टीकरण मांगने या पीडब्लू-21 को शत्रुतापूर्ण घोषित करके रिकॉर्ड पर नहीं लिया है।

इस प्रकार, [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरोपी लोकेश को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है

गौरवा आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302,201,120 बी के तहत

(जोर दिया गया)

आई. पी. सी. " उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है कि लोक अभियोजक ने नहीं किया

पी. डब्ल्यू. 21 ने शत्रुतापूर्ण घोषित किया है, हालांकि यह सामान्य रूप से कार्रवाई का सही तरीका होना चाहिए था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इनकार कर दिया जहाँ तक प्रत्यर्थी और सह-अभियुक्त इकबाल का संबंध है, पी. डब्ल्यू. 21 की गवाही पर विश्वास करें, यह पाते हुए कि गवाह असंगत और अविश्वसनीय था। प्रत्यर्थी को संदेह का लाभ दिया गया और बरी कर दिया गया।

6. हत्या के आरोप में अनुशासनात्मक जांच आगे बढ़ी

एक ही प्रमाण के साथ। अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान जोध सिंह मुख्य गवाह थे। अनुशासनात्मक जाँच के दौरान जाँच अधिकारी ने कई गवाहों के साथ पीडब्लू1 जोध सिंह, पीडब्लू2 देवी सिंह, पीडब्लू3 शंकर सिंह और पीडब्लू4 हमीर सिंह के बयान दर्ज किए। अनुशासनात्मक जाँच के परिणामस्वरूप जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जाँच अधिकारी ने आरोपों को साबित पाया। प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष नीचे निकाले गए हैं:

" शुल्क संख्या 1

स्टेशन हाउस ऑफिसर, पी. एस. से 13.08.02 पर कांस्टेबल ने कहा।

देवगढ़ को एक आकस्मिक अवकाश और एक राजपत्रित अवकाश की मंजूरी

और अपने घर के लिए रवाना हो गया जो समय पर ड्यूटी पर नहीं आया है और

उक्त आरोप को पूरी तरह से साबित पाया। शुल्क संख्या 2

अनुपस्थिति अवधि के दौरान सिपाही ने किसी भी अधिकारी को सूचित नहीं किया

उनकी अनुपस्थिति के कारण के बारे में और कोई भी प्रस्तुत नहीं किया विस्तार, जो श्री के अभिलेखों और बयानों से साबित होता है

मुनीश्वर मिश्रा, का। ली। बल शाखा, श्री भंवर सिंह

एस. आई. एस. एच. ओ. देवगढ़। इस प्रकार, मैंने उक्त आरोप को पूरी तरह से पाया

साबित कर दिया।

राजस्थान और ओआरएस का राज्य। वी. हेम सिंह [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

शुल्क संख्या 3

उक्त सिपाही छुट्टी के दौरान अपने आवास पर श्री भंवर सिंह पुत्र चंदन सिंह राजपूत निवासी राव की गुदली, जो पीडब्ल्यूडी विभाग, नाथद्वारा में काम कर रहे थे और अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे और उनके और भंवर सिंह के बीच भूमि विवाद के कारण, उन्होंने लोकेश, इकबाल की मदद से भंवर सिंह को मारने के लिए भील बस्ती कुंठवा में जीप से उन्हें मारा, जिससे वह नीचे गिर गए और चिल्लाते हुए अपने साथी इकबाल ने जीप से लोहे की छड़ लाई और भंवर सिंह के माथे पर मारा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस प्रकार, अनुशासित विभाग का कर्मचारी होने और कानून का ज्ञान होने के नाते, उसने ऐसा गंभीर अपराध किया है जिसके कारण जनता के बीच पुलिस की छवि धूमिल हो गई है। उक्त आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष ने जोधपुर सिंह पीडब्लू-1, देवी सिंह पीडब्लू-2, शंकर सिंह पीडब्लू-3, हमीर सिंह पीडब्लू-4 के बयान प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से जोधपुर सिंह पीडब्लू-1 ने घटना के समय अपने बयान में खुद की उपस्थिति साबित की है।

घटना स्थल पर सिपाही और ट्रैक्टर। इसी तरह, गवाह शंकर सिंह पीडब्लू-3 ने कहा कि उसने आधे घंटे पहले घटना को देखा था, जिसमें आरोपित कांस्टेबल घटना स्थल के पास घूम रहा था और उसका खड़ा ट्रैक्टर। इसी तरह, गवाह श्री हमीर सिंह पीडब्लू-4 ने कहा कि आरोपित सिपाही और मृतक भंवर सिंह के बीच और आरोपित सिपाही के पिता की मृत्यु से पहले दुश्मनी है, गवाह के माध्यम से भंवर सिंह को बताते हुए कि मैं उसे जीप या ट्रैक्टर से मारकर मार दूंगा और इसी तरह की घटना हुई है। इसी तरह, गवाह श्री नानालाल एस. एच. ओ. खमनौर पी. डब्ल्यू.-9 ने भी आरोपी सिपाही के खिलाफ अपने बयान में उसे गिरफ्तार करने और घटना में इस्तेमाल लोहे की छड़, जीप और ट्रैक्टर को जब्त करने के अपराध की पुष्टि करने पर उसे गिरफ्तार किया। इस प्रकार, उपरोक्त विश्लेषण से उक्त आरोप पूरी तरह से सिद्ध पाया जाता है।

उक्त आरोप के बचाव में आरोपित सिपाही ने माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की है। उक्त घटना से संबंधित मामले में नाथद्वारा, जिसके अवलोकन के बाद यह पाया गया है कि माननीय न्यायालय ने पूरी तरह से बरी नहीं किया है

सिपाही ने कहा कि बल्कि उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने बरी नहीं किया है।

मुक्त रूप में आरोपित सिपाही। इस प्रकार, मैंने पाया कि उक्त आरोप पूरी तरह से साबित हो गया है जिसके कारण पुलिस की छवि धुंधली हो गई है।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुल्क संख्या 4

सिपाही के खिलाफ यह आरोप है कि वह भंवर सिंह की हत्या करने के बाद अपने साथियों के साथ मौके से भाग गया और कानून की जानकारी होने पर दुर्घटना का रूप ले लिया। हत्या।

पीडब्लू-1 जोध सिंह, पीवीवी-3 शंकर सिंह, पीडब्लू-4 हमीर सिंह, पीडब्लू-9 नानालाल ने उपरोक्त आरोप की पुष्टि की है। इस प्रकार कहा गया है

जांच से आरोप पूरी तरह से साबित हो जाता है।
शुल्क संख्या 5

सिपाही के खिलाफ यह आरोप है कि वह पुलिस स्टेशन देवगढ़ में 19.08.02 पर ड्यूटी में शामिल होते समय सच्चाई छिपा कर और अनुपस्थिति के कारण को भंवर सिंह की दुर्घटना बताकर उसे मंजूरी दे दी गई एस. एच. ओ. से
आकस्मिक अवकाश के रूप में 3 अवकाशों की अवधि।

उक्त आरोप गवाह पी. डब्ल्यू.-7 श्री राजेश कुमार, पी. डब्ल्यू.-6 भंवर सिंह एस. आई. और आमद रिपोर्ट एक्स्टेंशन के बयानों से साबित होता है। पी-8 अभियुक्त सिपाही द्वारा लिखा गया। इस प्रकार, मैंने उक्त आरोप को पूरी तरह से सिद्ध पाया।
शुल्क संख्या 6

सिपाही के खिलाफ यह आरोप है कि वह अनुशासित विभाग का कर्मचारी होने के नाते, उसे कानून की पूरी जानकारी है और कानून की जानकारी होने के बावजूद उसने एक जघन्य अपराध किया है, जिससे आम जनता के बीच पुलिस विभाग की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है।

चूंकि, जांच से आरोप संख्या 1 से 5 पूरी तरह से साबित हो जाते हैं। इस प्रकार, उक्त शुल्क स्वचालित रूप से पूरी तरह से हो जाता है।
साबित कर दिया "।

7. अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 23 अक्टूबर 2003 को प्रतिवादी को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया, जिस पर उन्होंने 17 नवंबर 2003 को जवाब प्रस्तुत किया। 11 दिसंबर 2003 को, जिला पुलिस अधीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हालाँकि प्रतिवादी को आपराधिक मुकदमे में संदेह का लाभ दिया गया था, लेकिन उसके खिलाफ आरोप स्थापित हो गए। उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को 17 जून 2005 को पुलिस महानिरीक्षक द्वारा खारिज कर दिया गया था। 29 अगस्त 2008 को राज्य सरकार के समक्ष एक समीक्षा खारिज कर दी गई थी। इसके कारण उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही की स्थापना हुई। राजस्थान और ओ. आर. एस. के एक फैसले द्वारा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश।

वी. हेम सिंह [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में परिणामी लाभों के साथ सेवा में टी को फिर से स्थापित करने का निर्देश दिया, लेकिन बिना वेतन के।वकीलों की दलीलें

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित ए. ए. जी. श्री आशीष कुमार प्रस्तुत करते हैं किः दुराचार के आरोप से जुड़ी अनुशासनात्मक जांच में,

परीक्षण यह है कि क्या चार्ज एक पर स्थापित किया गया है

' संभाव्यताओं की प्रधानता 'आपराधिक मुकदमे के विपरीत जहां अभियोजन पक्ष को अपना मामला स्थापित करना होता है' उचित से परे

संदेह ';

अनुशासनात्मक जाँच में निष्कर्षों के विरुद्ध संविधान न्यायालय अपीलीय न्यायालय के तरीके से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है, और जब तक कदाचार का निष्कर्ष कुछ साक्ष्य पर आधारित है, तब तक कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही में आदेशों को पर्याप्त महत्व देने में विफल रहा हैः विभागीय कार्यवाही के अनुसार 11 दिसंबर 2003 का आदेश;

अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस महानिरीक्षक का 17 जून 2005 का आदेश; और गृह विभाग द्वारा पारित समीक्षा कार्यवाही में 29 अगस्त 2008 का आदेश; और

अनुशासनात्मक जाँच में साक्ष्य इंगित करता है किः मृतक और प्रत्यर्थी के बीच भूमि विवाद से उत्पन्न शत्रुता थी;

सह-अभियुक्त अपराध स्थल पर पाया गया था;

मृतक ने घटना से कुछ साल पहले, प्रतिवादी से खतरे की आशंका में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी;

पीडब्लू1 जोध सिंह और पीडब्लू3 शंकर सिंह के साक्ष्य ने आसपास के क्षेत्र में प्रतिवादी की उपस्थिति दिखाई; और

आपराधिक मुकदमे में प्रत्यर्थी को हत्या के अपराध से बरी करने का फैसला, एक स्पष्ट बरी होने का गठन नहीं करता था

लेकिन संदेह के लाभ पर आधारित था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. उपरोक्त आधारों पर, यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार करने और अपीलकर्ताओं द्वारा लगाए गए अनुशासनात्मक दंड में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने में न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति पर सीमाओं को बढ़ा दिया है।

10. दूसरी ओर, श्री जसमीत सिंह, विद्वान वकील

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया किः

(i) विभागीय जांच का उल्लंघन करते हुए निष्कर्ष निकाला गया था

क्रॉस के दौरान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था जाँच;

((ii) प्रतिपरीक्षा के दौरान, पीडब्लू1 जोध सिंह

उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने केवल सरपंच के दबाव में ही प्रतिवादी का नाम लिया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी भी

क्योंकि अपीलीय और समीक्षा अधिकारियों ने महत्वपूर्ण को नजरअंदाज कर दिया

साक्ष्य, और परिणामस्वरूप उनके निष्कर्ष विकृत थे;

(iii) चूंकि कथित अपराध सेवा के दायरे से बाहर हुआ था, इसलिए विभाग पर यह दायित्व था कि वह सत्र मुकदमे के पूरे रिकॉर्ड पर भरोसा करे जिसमें प्रतिवादी को बरी कर दिया गया था। विभागीय जाँच चयनात्मक आधार पर होती है -

सत्र न्यायालय के अभिलेखों की जांच;

((iv) अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य यह प्रदर्शित करेगा कि प्रतिवादी हत्या से दूर से भी जुड़ा नहीं था।

भंवर सिंह का; और

(v) प्रत्यर्थी के खिलाफ वरिष्ठ को सूचित किए बिना तीन दिन के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाने का "मामूली आरोप" है।

अधिकारी। इस आरोप पर यह प्रस्तुत किया गया है किः
(क) अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश के अनुदान को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनके शामिल होने के कर्तव्यों पर मंजूरी दी गई थी और आरोप को विधिवत संशोधित किया गया था कि अनुमोदन तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके लिया गया था; प्रतिवादी पर हत्या के अपराध में अपनी संलिप्तता को छिपाने का आरोप लगाया गया थाः

(ख) यदि हत्या में शामिल होने का आरोप स्थापित नहीं होता है, तो यह आरोप अस्तित्व में नहीं रहेगा; और राजस्थान और ओआरएस का राज्य।

(ग) यह स्वीकार किए बिना भी कि प्रत्यर्थी वरिष्ठ को सूचित किए बिना आकस्मिक अवकाश लेने का दोषी था, वह अतीत में कभी भी इस तरह के आचरण का दोषी नहीं था और उसकी मृत्यु के कारण अवकाश लिया गया था।

बहनोई।

11. उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, यह आग्रह किया गया है कि विभागीय जांच में निष्कर्ष विकृत थे और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा सही ढंग से अलग किया गया। प्रत्यर्थी 17 वर्षों से सेवा से बाहर है और उसे (यह आग्रह किया गया है) सेवा से बर्खास्त किए जाने के सामाजिक कलंक का मुकाबला करना पड़ा है। उच्च न्यायालय ने तब से प्रत्यर्थी को बिना वेतन के फिर से नियुक्त किया, यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

डी अनुशासनात्मक कार्यवाही में कदाचार का प्रमाण

12. अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्राथमिक आरोप भंवर सिंह की हत्या में प्रतिवादी की संलिप्तता से संबंधित है।

प्रत्यर्थी के अनुसार, अनुशासनात्मक जांच एक घटना से संबंधित है जो उनकी सेवा के दायरे से बाहर हुई थी। यह दावा किया गया कि हत्या में प्रतिवादी की संलिप्तता के संबंध में अनुशासनात्मक जांच का उसकी नौकरी से कोई संबंध नहीं था। रोजगार की प्रकृति और पुलिस बल के सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तुति जांच के दायरे में नहीं आ सकती है। प्रतिवादी 1992 से राजस्थान राज्य के पुलिस विभाग की सेवा में एक सिपाही था। एक जघन्य अपराध में पुलिस सेवा के सदस्य की संलिप्तता (यदि यह स्थापित हो जाता है) का सीधे तौर पर विश्वास पर असर पड़ता है -

पुलिस में समाज और इस मामले में, बल के सदस्य के रूप में सेवा करने की उनकी क्षमता पर। ऐसे व्यक्ति को राज्य द्वारा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाए गए तंत्र के एक हिस्से के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य वैध रूप से यह दावा कर सकता है कि वह अपने अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में प्रतिवादी के पद पर एक कर्मचारी के खिलाफ उस आचरण के मानक के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने का हकदार है जो राज्य पुलिस सेवा के सदस्य से अपेक्षित है। पुलिस के लिए नियुक्त व्यक्तियों के आचरण और व्यवहार में राज्य का विश्वास कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य का अभिन्न अंग है। वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या इस मामले में कदाचार का आरोप कुछ साक्ष्यों के आधार पर स्थापित होता है, जो संभावनाओं की प्रधानता के साक्ष्य सिद्धांत को लागू करता है।

13. अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में प्रमाण के मानक का मानक

आपराधिक मुकदमे में उससे अलग है। सुरेश पाथरैला बनाम।

बैंक ऑफ कॉमर्स, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अनुशासनात्मक कार्यवाही और आपराधिक मुकदमों में सबूत के मानक के बीच निम्नलिखित शब्दों में अंतर कियाः

" आपराधिक मामले में बरी होने का विभागीय कार्यवाही के तथ्यों से कोई संबंध या प्रासंगिकता नहीं होगी क्योंकि दोनों मामलों में सबूत का मानक पूरी तरह से अलग है। आपराधिक मामले में, अभियोजन पक्ष को आपराधिक मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करना होता है, जबकि विभागीय कार्यवाही में, विभाग के पास है केवल
संभावनाओं की प्रधानता साबित करने के लिए।

ई अनुशासनात्मक जाँच के निष्कर्ष

14. 13 अगस्त 2002 को, देवगढ़ पुलिस स्टेशन में तैनात रहते हुए, प्रतिवादी ने एक दिन की आकस्मिक छुट्टी और एक राजपत्रित छुट्टी ली और

16 अगस्त 2002 को वापस रिपोर्ट करना था। यह स्वीकार किया जाता है कि उन्होंने अपनी छुट्टी पर रोक लगा दी और 19 अगस्त 2002 को शामिल हुए। प्रत्यर्थी के अनुसार, ड्यूटी पर वापस आने के बाद अतिरिक्त छुट्टी को मंजूरी दी गई थी। उनके नियोक्ता के रूप में राज्य का दावा है कि प्रतिवादी ने 15 अगस्त 2002 को भंवर सिंह की हत्या में अपनी संलिप्तता की मध्यवर्ती परिस्थितियों को छुपाया। अब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी को 16 सितंबर 2002 को ड्यूटी में फिर से शामिल होने के काफी बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और 30 अक्टूबर 2002 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। चूंकि गिरफ्तारी उनके कर्तव्यों में फिर से शामिल होने के बाद हुई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि 19 अगस्त को जब वे कर्तव्यों में शामिल हुए तो उनकी हिरासत को दबा दिया गया था

2002. किसी भी मामले में, आरोप का यह हिस्सा अनुशासनात्मक कार्यवाही में मुख्य आरोप का सहायक है। विभागीय कार्यवाहियों में, मोटे तौर पर, प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप

ये थेः

(i) अवधि से अधिक तीन दिनों की अवधि के लिए छुट्टी पर रहना।

छुट्टी जो स्वीकृत की गई थी;

4 (2006) 10 एस. सी. सी. 572 5 (2011) 9 एस. सी. सी. 94 राजस्थान और ओ. आर. एस. राज्य।

((ii) वरिष्ठ अधिकारी से छुट्टी बढ़ाने की मांग नहीं करना;

((iii) भंवर सिंह (प्रतिवादी) की हत्या में संलिप्तता।

अपराध स्थल से भागने और इसे दुर्घटना का रंग देने की कोशिश करने का आरोप है);

(iv) वरिष्ठ अधिकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर सही कारण को दबाकर अतिरिक्त छुट्टी स्वीकृत करना; और

(v) ऐसा आचरण जिससे पुलिस विभाग की छवि को ठेस पहुंची हो।

15. प्रत्यर्थी पर हत्या के अपराध का मुकदमा चलाया गया और 8 अक्टूबर 2003 को सत्र अदालत ने उसे बरी कर दिया। कोर्स के दौरान

जोध सिंह (सत्र मुकदमे में पीडब्लू 21) अपने साक्ष्य में विसंगतियों के आधार पर। वास्तव में, विचारण न्यायाधीश ने यह भी कहा कि लोक अभियोजक द्वारा उसे शत्रुतापूर्ण घोषित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। हत्या के आरोप में प्रतिवादी को बरी करना अभियोजन पक्ष के गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने के अब परिचित दृश्य पर आधारित था। यह सच है कि बरी होने से इस सवाल को अंतिम रूप मिला कि क्या उसने दंड संहिता के तहत दंडनीय हत्या का अपराध किया था। हालाँकि, अनुशासनात्मक जाँच व्यापक आधार पर थी। अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल शामिल होने से संबंधित नहीं है हत्या में प्रतिवादी, लेकिन सेवा नियमों के उल्लंघन और पुलिस बल की छवि पर उसके आचरण के प्रभाव के लिए।

16. भंवर सिंह की हत्या में प्रतिवादी की संलिप्तता के प्राथमिक आरोप पर, जोध सिंह (अनुशासन में पीडब्लू1)

पूछताछ) मुख्य गवाह था, जैसा कि आपराधिक मुकदमे में होता है। जोध सिंह एक इंजन मैकेनिक थे और उन्होंने 18 जुलाई 2003 को अपनी जांच के दौरान कहा कि दो या तीन साल पहले, प्रतिवादी इकबाल खान (जो सत्र मुकदमे में सह-आरोपी भी थे) के साथ मरम्मत के लिए एक इंजन क्रेन के साथ उनके पास आया था। गवाह ने कहा कि इकबाल खान ने भंवर सिंह पर लोहे की छड़ से हमला किया था जब वह भील बस्ती नाला के पास साइकिल पर जा रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उसी दिन उन्होंने प्रतिवादी को अपराध स्थल से लगभग 300 फीट दूर साइकिल पर नाथदवारा की ओर जाते देखा था। इसके अलावा, अपराध स्थल से लगभग 300 फीट दूर, उन्होंने प्रतिवादी का ट्रैक्टर खड़ा पाया। जोध सिंह इकबाल द्वारा भंवर सिंह की हत्या का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने आपराधिक मुकदमे के दौरान किया था, [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान, जोध सिंह ने समर्थन नहीं कियामुख्य परीक्षा के दौरान परिवर्धन। इकोर्ड की पूर्णता के लिए, क्रॉस इनैशन के प्रासंगिक हिस्से को निकालना आवश्यक है जिसे प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

पूछताछ की कार्यवाहीः

" पाइरोकर हीम सिंह कॉन्स्ट के माध्यम से पार करें। No.642 1. प्रश्न-इस घटना के 20 दिन बाद, सरपंचा श्री प्रताप सिंह ने अपने घर जाकर कहा कि इकबाल के साथ हीम सिंह और लोकेश का भी नाम लिखवाओ, मैंने मना कर दिया तो सरपंचा जी ने कहा कि आपको हीम सिंह का नाम लिखना है, इसलिए मैंने पुलिस को दिए गए बयानों में उनके नाम बताए।

2. क्या यह सही है कि आपने भंवर सिंह की हत्या करते समय इकबाल को देखा था, लेकिन उस समय हेम सिंह वहां मौजूद नहीं थे। घटना। हाँ, यह सच है।

3. क्या यह सही है कि आपको जान से मारने की धमकी देने के बारे में पता नहीं था

5. क्या यह सही है कि हेम सिंह किससे क्रेन लाए थे और किसके लिए, आपको इसके बारे में पता नहीं था। हां, यह सच है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। 6. क्या यह सही है कि राम सिंह नाम का कोई भी व्यक्ति गुडली में नहीं रहता है? हां, यह सच है, लेकिन मेरे बयानों में जिनके बारे में राम सिंह प्रथम ने उल्लेख किया है, वे चुंदवते का गुड़ा, कुंथवा के निवासी हैं, जिनके बारे में मैंने कहा है कि

यह वह जगह है जहाँ मैंने क्रेन की मरम्मत की थी।

7. क्या यह सही है कि इकबाल द्वारा भंवर सिंह की हत्या के बाद वहां से गुजरने वाली जीप, जो साइकिल और भंवर सिंह को कुचलकर गुजर गई थी? हां, यह सच है लेकिन इकबाल अंदर बैठकर चला गया।

वह।

8. क्या यह सही है कि आपने जीप के चालक को नहीं पहचाना, न तो जीप का नंबर देखा और न ही जीप को पहचाना कि यह किसकी है?

हाँ, यह सच है। " राजस्थान और ओआरएस का राज्य। वी. हेम सिंह [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

अनुशासनात्मक प्राधिकरण कदाचार के आरोप पर अपने निष्कर्षों पर इस प्रकार आयाः

" उक्त आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष ने जोधपुर सिंह पीडब्लू-1, देवी सिंह पीडब्लू-2, शंकर सिंह पीडब्लू-3, हमीर सिंह पीडब्लू-4 के बयान प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से जोधपुर सिंह पीडब्लू-1 ने घटना के समय अपने बयान में खुद की उपस्थिति साबित की है। घटना स्थल पर सिपाही और ट्रैक्टर। इसी तरह, गवाह शंकर सिंह पीडब्लू-3 ने कहा कि उसने आधे घंटे पहले घटना को देखा था, जिसमें आरोपित कांस्टेबल घटना स्थल के पास घूम रहा था और उसका खड़ा ट्रैक्टर। इसी तरह, गवाह श्री हमीर सिंह पीडब्लू-4 ने कहा कि आरोपित सिपाही और मृतक भंवर सिंह के बीच और आरोपित सिपाही के पिता की मृत्यु से पहले दुश्मनी है, गवाह के माध्यम से भंवर सिंह को बताते हुए कि मैं उसे जीप या ट्रैक्टर से मारकर मार दूंगा और इसी तरह की घटना हुई है। इसी तरह, गवाह श्री नानालाल एस. एच. ओ.

खमनौर पीडब्लू-9 ने भी अपराध का पता चलने पर अभियुक्त सिपाही के खिलाफ अपने बयान में उसे गिरफ्तार करने और घटना में इस्तेमाल लोहे की छड़, जीप और ट्रैक्टर को जब्त करने की पुष्टि की। अतः उपरोक्त से

विश्लेषण में उक्त आरोप पूरी तरह से सिद्ध पाया गया है।

उक्त आरोप के बचाव में आरोपित सिपाही ने माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की है। उक्त घटना से संबंधित मामले में नाथद्वारा, जिसके अवलोकन के बाद यह पाया गया है कि माननीय न्यायालय ने पूरी तरह से बरी नहीं किया है

सिपाही ने कहा कि बल्कि उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने बरी नहीं किया है।

मुक्त रूप में आरोपित सिपाही। इस प्रकार, मैंने पाया कि उक्त आरोप पूरी तरह से साबित हो गया है जिसके कारण पुलिस की छवि धूमिल हो गई है। एफ डिवीजन बेंच का निर्णय

17. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि काफी

जिरह के अलावा, जोध सिंह की जाँच-इन-चीफ इस निष्कर्ष के प्रति अतिसंवेदनशील नहीं थी कि प्रतिवादी समान था

हत्या से दूर से जुड़ा हुआ। प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप था कि उसने इकबाल और लोकेश के साथ सहयोग किया था, और भंवर सिंह की जीप से कुचल कर हत्या कर दी थी। इस पर

आरोप, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि

प्रतिवादी ने भंवर सिंह की हत्या के लिए उक्त दो व्यक्तियों के साथ साजिश या सहयोग किया था। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने कहा, पीडब्लू1 जोध सिंह की प्रतिपरीक्षा ने संकेत दिया कि उन्हें [2020] 13 एस. सी. आर. द्वारा उकसाया गया था।

प्रतिबादी को झूठा फंसाने के लिए और जबकि उसने देखा था

इकबाल द्वारा हमला, प्रतिवादी अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 2 देवी सिंह और पी. डब्ल्यू. 3 शंकर सिंह के साक्ष्य, उच्च न्यायालय के अनुसार, प्रतिवादी को शामिल नहीं करते थे, और पी. डब्ल्यू. 4 हमीर सिंह ने केवल पिछले विवाद के बारे में बात की थी।

उत्तरदाता के पिता की सांप के काटने से मृत्यु, जिसका इलाज भंवर सिंह ने करने का प्रयास किया था। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अनुशासनात्मक जांच में पीडब्लू 5,6,7,8,9 और 10 के साक्ष्य थे

केवल एक औपचारिक प्रकृति। 18. उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुशासनात्मक जांच के दौरान जोध सिंह की जिरह को नजरअंदाज कर दिया गया था और इसे संदर्भित नहीं किया गया था

अपने निष्कर्षों पर पहुँचते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा। ट्राली और लोहे की छड़ के साथ जीप और ट्रैक्टर की बरामदगी पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी के साक्ष्य में एक "अस्पष्ट बयान" है कि उल्लंघनकारी वस्तुओं/वाहन की बरामदगी आरोपी के कहने पर की गई थी। मुकदमे में तीन आरोपी थे, और इसलिए उच्च न्यायालय के अनुसार, प्रत्यर्थी से वसूली को जोड़ना संभव नहीं था।

19. अनुशासनात्मक जांच नियमों के नियम 16 द्वारा शासित थी। नियम 16 के प्रासंगिक भाग नीचे दिए गए हैं:

“ 16. 16. बड़ा दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया। के लिए प्रक्रिया

भारी दंड देना।

(6) (ए)। जहां सरकारी कर्मचारी ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है, जांच शुरू होने पर, जांच प्राधिकरण अनुशासनात्मक प्राधिकरण की ओर से पेश होने वाले प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को 10 दिनों के भीतर गवाहों और दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, जो एक साथ सरकारी कर्मचारी को एक प्रति भी भेजेगा। अपराधी अधिकारी, दस के भीतर

अभियोजन पक्ष के गवाह और दस्तावेजों की सूची प्राप्त होने के दिनों में, वह अपने बचाव के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत करेगा। जांच प्राधिकरण तब दोनों पक्षों के दस्तावेजों को बुलाएगा और पक्षों से उन्हें स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहेगा। इसके बाद यह प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को जाँच के लिए अवसर देते हुए और साथ ही प्रस्तुतकर्ता को भी, जो भी आवश्यक हो, साक्ष्य बुलाएगा।

सरकारी कर्मचारी या उसका सहायक अधिकारी, जो भी उपस्थित हो सकता है, प्रतिपरीक्षा के लिए। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी राजस्थान और ओआरएस का राज्य होगा।

वी. हेम सिंह

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

वे किसी भी बिंदु पर गवाह से फिर से पूछताछ करने के हकदार हैं, जिस पर वे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद सरकारी कर्मचारी को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन जांच प्राधिकरण की अनुमति के बिना, किसी भी नए मामले पर नहीं।

10 दिनों के भीतर गवाहों की सूची जो वह चाहता है अपने बचाव में उत्पादन करें। जांच प्राधिकरण गवाहों और दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर विचार करने के बाद समन भेजेगा।

केवल प्रासंगिक गवाहों और दस्तावेजों को दर्ज करें

पक्षकारों को मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा/पुनःपरीक्षा का अवसर देते हुए और फिर साक्ष्य को बंद करते हुए, उसका साक्ष्य। जाँच प्राधिकरण प्रासंगिकता पर विचार करेगा।

दोनों पक्षों द्वारा बुलाए गए गवाहों और दस्तावेजों के बारे में और किसी भी गवाह या दस्तावेज को बुलाने से इनकार करने की स्थिति में, वह लिखित रूप में कारण दर्ज करेगा। जाँच प्राधिकरण कर सकता है

पक्षकारों के गवाहों से भी इस तरह के सवाल पूछें, जैसा कि वे सोचते हैं

न्याय के हित में। सुनने का अवसर

पक्षकारों को तर्क दिए जाएँगे।

ध्यान दें: - यदि सरकारी कर्मचारी ने बयान में उल्लिखित गवाहों के बयान की प्रतियों की आपूर्ति के लिए मौखिक या लिखित रूप से आवेदन किया है। उप-नियम (6) (क) में निर्दिष्ट सूची की जांच प्राधिकरण उन्हें जितनी जल्दी हो सके और किसी भी मामले में ऐसी प्रतियां प्रदान करेगा।

शुरू होने से तीन दिन पहले नहीं

जहाँ जाँच अधिकारी सोचता है कि उस व्यक्ति को होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाता है और पूछताछ की जाती है, या यदि कोई भी पक्ष, अर्थात् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या अपराधी अधिकारी गवाह की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देता है, तो गवाह के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

ऐसे गवाह की व्यक्तिगत उपस्थिति। (6) (बी)। पूछताछ करने वाला प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए, गवाहों को आंशिक रूप से परीक्षण के लिए वापस बुला सकता है।

उनके द्वारा चलाए जा रहे मामलों को सुना।

(6) (सी)। जाँच प्राधिकरण आदेश के 10 दिनों के भीतर या ऐसे आगे के समय के भीतर एक नोटिस देगा जो 10 दिनों से अधिक नहीं होगा।

पूछताछ प्राधिकरण खोज या उत्पादन [2020] 13 एस. सी. आर. के लिए अनुमति दे सकता है।

ऐसे किसी भी दस्तावेज का, जो सरकार के कब्जे में हैं, लेकिन उप-नियम (6) (ए) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित नहीं हैं।

ध्यान दें: - सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा खोजे जाने या पेश किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रासंगिकता का संकेत देगा।

जांच प्राधिकरण, नोटिस प्राप्त होने पर

दस्तावेजों की खोज या उत्पादन, उसी या उनकी प्रतियों को उस प्राधिकरण को अग्रेषित करें जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में

दस्तावेज़ों को ऐसी तारीख तक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की माँग के साथ रखा जाता है जो ऐसी माँग में निर्दिष्ट की जा सकती है: बशर्ते कि पूछताछ प्राधिकरण, कारणों से हो सकता है

उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित, ऐसे दस्तावेजों की आवश्यकता से इनकार करता है जो उसकी राय में हैं, मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। माँग की प्राप्ति पर, माँग किए गए दस्तावेजों की अभिरक्षा या कब्जा रखने वाला प्रत्येक प्राधिकारी उन्हें जाँच प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि यदि अभिरक्षा या अधिकार रखने वाला प्राधिकारी

सरकारी कर्मचारी को और ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या खोजने के लिए उसके द्वारा की गई माँग को वापस ले लें। (6) (डी)। नियम 18 के तहत संयुक्त विभागीय जांच के मामले में या इन नियमों के नियम 16 के तहत जांच के मामले में, सरकारी कर्मचारी सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर पर्याप्त कारण के बिना उपस्थित होने में विफल रहता है।

(6) (ए)। यदि यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण की ओर से मामले के समापन से पहले आवश्यक प्रतीत होगा, तो जांच प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सरकारी कर्मचारी को दी गई सूची में शामिल नहीं किए गए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है या स्वयं नए साक्ष्य की मांग कर सकता है या किसी गवाह की फिर से जांच कर सकता है और ऐसे मामले में सरकारी कर्मचारी राजस्थान राज्य का हकदार होगा।

वी. हेम सिंह [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

सरकारी कर्मचारी को नया साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी अनुमति दें, यदि यह राय है कि न्याय के हित में इस तरह के साक्ष्य का उत्पादन आवश्यक है। ध्यान दें: - नए साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जाएगी या किसी गवाह को नहीं बुलाया जाएगा या साक्ष्य में किसी भी अंतराल को भरने के लिए किसी भी गवाह को वापस नहीं बुलाया जाएगा। इस तरह के साक्ष्य की मांग केवल तभी की जा सकती है जब मूल रूप से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में कोई अंतर्निहित कमी या दोष हो।

(6) (बी) (ए)। जहां कोई अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियम 14 के खंड (i) से (iii) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने के लिए सक्षम है, लेकिन खंड में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने के लिए सक्षम नहीं है।

((iv) नियम 14 के खंड (vii) से (vii) ने स्वयं किसी आरोप के अनुच्छेदों की जांच की है या उसकी जांच कराई है और उस प्राधिकरण ने अपने स्वयं के निष्कर्षों के संबंध में या उसके द्वारा नियुक्त किसी जांच प्राधिकरण के किसी भी निष्कर्ष पर अपने निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि नियम 14 के खंड (iv) से (vii) में निर्दिष्ट दंड सरकारी कर्मचारी पर लगाए जाने चाहिए, कि

प्राधिकारी जाँच के अभिलेखों को ऐसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेजेगा जो अंतिम उल्लिखित दंड लगाने के लिए सक्षम है।

न्याय के हित में आवश्यक, गवाहों को वापस बुलाना और गवाह की जाँच, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा कर सकते हैं और सरकारी कर्मचारी पर ऐसा जुर्माना लगा सकते हैं जो वह नियमों के अनुसार उचित समझे।

(7) . जाँच के समापन पर, जाँच प्राधिकरण जाँच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए जाएंगे।

इसलिए कारणों के साथ आरोप। यदि ऐसे प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही मूल रूप से बनाए गए आरोपों से अलग आरोप स्थापित करती है तो वह [2020] 13 एस. सी. आर. पर निष्कर्ष दर्ज कर सकती है।

ऐसे आरोपों का प्रावधान है कि ऐसे आरोपों पर निष्कर्ष तब तक दर्ज नहीं किए जाएंगे जब तक कि सरकारी कर्मचारी ने उन्हें गठित करने वाले तथ्यों को स्वीकार नहीं किया है या उसे अपना बचाव करने का अवसर नहीं मिला है। उनके खिलाफ।

((ग) जाँच के दौरान लिया गया मौखिक साक्ष्य। ((iv) प्रक्रिया के दौरान विचार किए गए दस्तावेजी साक्ष्य

पूछताछ;

(v) अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश, यदि कोई हों, और

जाँच के संबंध में पूछताछ प्राधिकरण; और

(vi) प्रत्येक आरोप और कारणों पर निष्कर्ष निर्धारित करने वाली एक रिपोर्ट।

इसलिए।

(9) . अनुशासनात्मक प्राधिकरण, यदि वह जांच प्राधिकरण नहीं है, तो जांच के रिकॉर्ड पर विचार करेगा और अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा।

प्रत्येक शुल्क पर।

अनुशासनात्मक प्राधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले उचित और पर्याप्त कारणों के लिए पूछताछ प्राधिकरण की रिपोर्ट पर विचार करते हुए मामले को आगे/नए सिरे से जांच के लिए भेज सकता है, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच पहले ही की जा चुकी है।

यह किसी न किसी रूप में संक्षिप्त रहा है "। जी अनुशासनात्मक जाँच में साक्ष्य

20. विस्तार से कहें तो उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले में साक्ष्य के अन्य पहलुओं की जांच की जानी चाहिए थी।

रिकॉर्ड करें। इन पहलुओं ने अदालत को न्यायिक प्रवचन की भाषा से परिचित एक शब्द का उपयोग करने में सक्षम बनाया होगा, जो 'मामले का समग्र परिप्रेक्ष्य' है। जैसा कि हम वर्तमान में संकेत देंगे, इसका असर इस बात पर पड़ता है कि क्या बहाली का आदेश (जिसे उच्च न्यायालय ने दिया है) अनुशासनात्मक निष्कर्षों को दरकिनार करते हुए) साक्ष्य अभिलेख के साथ न्याय करता है। इस अदालत को यह अभ्यास करना होगा, न कि जांच में निष्कर्षों की पुनः सराहना करने के लिए, बल्कि इसलिए कि उच्च न्यायालय ने एक अंतर-अदालत अपील में दंड को रद्द करते हुए अभ्यास किया था।

राजस्थान और ओआरएस का राज्य। वी. हेम सिंह [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

जोध सिंह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में किए गए हमले के अलावा, जो काफी हद तक उच्च न्यायालय पर भारी पड़ा है, ऐसे अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं जो अनुशासनात्मक जांच के अभिलेख से सामने आते हैं। अब हम उनकी ओर मुड़ते हैं। संक्षिप्तता सुनिश्चित करने के लिए, हम निक्षेपण से अंश लेने से पहले बिंदु को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं।

21. पीडब्लू1 जोध सिंह का साक्ष्य-अंशों से काफी अलग

पी. डब्ल्यू. 1 की प्रतिपरीक्षा से, जिसे उच्च न्यायालय ने नोटिस किया है, जांच अधिकारी के समक्ष उसका बयान यह स्थापित करता है किः (क) घटना के निकट, वह इकबाल के साथ प्रतिवादी (हीम सिंह) से मिला, जो उनके बीच पूर्व परिचित होने का संकेत देता है; (ख) प्रतिवादी के पिता की सांप के काटने से मृत्यु हो गई; और (ग) जोध सिंह घटना की तारीख को प्रतिवादी से एक ऐसे स्थान पर मिले जो 300 फीट दूर था जहां से उसने इकबाल को भंवर सिंह की हत्या करते देखा था। यह निम्नलिखित प्रमाणों पर आधारित हैः

" मैं राव की गुड़ली के भंवर सिंह को भी जानता हूं, जो हीम सिंह के चाचा थे। साँप के काटने पर उसने जादू-टोना का काम किया और नाथद्वारा में पीडब्ल्यूडी में सेवा की। 2 भंवर सिंह की मृत्यु से कई साल पहले; हेम सिंह के पिता नाथू सिंह को सांप ने काट लिया था। मुझे नहीं पता कि भंवर सिंह ने नाथू सिंह पर कोई जादू-टोना किया है या नहीं। नाथू सिंह को सांप के काटने के बाद कुछ दिनों के लिए उदयपुर में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर घर लौटने के दो-तीन दिन बाद नाथू सिंह की मृत्यु हो गई। " क्या यह सही है कि उस दिन आप नाथद्वारा से घटा घोटिया और हीम जाने वाली सड़क से कुंथवा से गुडला जा रहे हैं?

कुंथवा से मोटरसाइकिल पर जाते समय सिंह आपसे मिले थे।

नाथद्वारा। जिस स्थान पर हेम सिंह की मुलाकात हुई थी, वहां से 300 फीट आगे बढ़ते हुए आपने इकबाल को भंवर सिंह की हत्या करते हुए देखा।

हाँ, यह सच है। "

22. पी. डब्ल्यू. 2 देवी सिंह-पी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य उनके

पूरा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भंवर सिंह की मौत के बारे में कुछ नहीं पता और पुलिस ने उन्हें जो कुछ भी बताया, उन्होंने उसे स्वीकार किया।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. पीडब्लू 3 शंकर सिंह का साक्ष्य-पीडब्लू 3 का साक्ष्य

यह स्थापित करता है कि वह घटना की तारीख को प्रतिवादी से उस स्थान पर मिला था जहाँ उसका ट्रैक्टर खड़ा किया गया था, साथ ही एक अन्य व्यक्ति के साथ जिसकी उसने पहचान नहीं की है। इसके अलावा, जब वह 30/45 मिनटों के बाद वापस आ रहे थे, तो उन्होंने भंवर सिंह का शव देखा। हालाँकि, वह कहता है कि वह प्रतिवादी और भंवर सिंह के बीच पूर्व शत्रुता के बारे में नहीं जानता है, और भंवर सिंह की मृत्यु में हीम सिंह की संलिप्तता के बारे में निश्चित नहीं है। यह निम्नलिखित प्रमाणों पर आधारित है:

" आई. डी. 1 पर लगभग 5 से 6 बजे मैं अपनी चाय की दुकान बंद करने के बाद अपनी साइकिल पर कुंथवा से खेतों की ओर जा रहा हूँ। कोटेला जाने वाले खेतों से गुजरने के बाद पीछे से राव की गुडली के सिपाही हेम सिंह मोटरसाइकिल पर आए और चले गए।

मेरे आगे। मैं नाला भील बस्ती घाटी पहुँचा जहाँ दीवार के पास हीम सिंह का ट्रैक्टर खड़ा था। हीम सिंह वहाँ से वापस कुंथवा चला गया जिसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा। कि मैं कोटेला जा रहा हूँ। एक व्यक्ति ट्रैक्टर के संचालन पर बैठा है, जिसे मैं नहीं जानता, जिससे मैंने पूछा कि ट्रैक्टर का क्या हुआ, उसने जवाब दिया कि ईंधन खत्म हो गया, मालिक ईंधन लाने गया। उस समय मैंने किसी और को नहीं देखा। लगभग आधे घंटे या साढ़े तीन घंटे के बाद मैं उस समय कोटेला से भील बस्ती नाला रोड पर हीम के चाचा भंवर सिंह का शव लेकर वापस आया।

सिंह वहाँ लेटा हुआ था।

" उस समय मैंने हीम सिंह का ट्रैक्टर नहीं देखा, न ही हीम सिंह को देखा। हेम सिंह और भंवर सिंह के बीच कोई दुश्मनी है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं लगभग 5 किलोमीटर दूर रहता हूं।

" अगर हेम सिंह भंवर सिंह की हत्या में शामिल है, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

24. पीडब्लू4 हैमर सिंह का साक्ष्य-पीडब्लू4 का साक्ष्य

यह स्थापित करता है कि: (क) प्रतिवादी और भंवर सिंह के बीच भूमि विवाद था, जिसके संबंध में भंवर सिंह ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी; (ख) प्रतिवादी के पिता के साथ 'भंवर' ने व्यवहार किया था। सिंह ने उस पर जादू-टोना किया, लेकिन वह सांप के काटने से मर गया; (सी) प्रतिवादी ने व्यक्तिगत रूप से उसे भंवर सिंह को सूचित करने के लिए कहा कि वह

(घ) भंवर सिंह ने प्रतिवादी द्वारा उसे दी गई जान से मारने की धमकी के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी; और (ङ) जब उसे राजस्थान और ओआरएस के राज्य के बारे में पता चला तो।

वी. हेम सिंह [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

युद्ध सिंह की मृत्यु के बाद, उन्हें तुरंत प्रतिवादी पर संदेह हुआ। यह निम्नलिखित साक्ष्य पर आधारित हैः

" भंवर सिंह हीम सिंह के चाचा हैं। उनके बीच पिछले 5-7 वर्षों से भूमि विवाद है। इस संबंध में भंवर सिंह ने पुलिस स्टेशन खमनौर में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई। मुझे सही समय याद नहीं है। 2-3 कई साल पहले पिता नाथू सिंह को भी सांप ने काट लिया था। हेम सिंह का। उस पर भंवर सिंह ने भी जादू-टोना किया।

उस पर काम करें। नाथू सिंह को भी अस्पताल ले जाया गया लेकिन वह बच नहीं सके, 15-20 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। नाथू सिंह की मृत्यु हो गई और अगले दिन मैं उनसे मिलने गया, मिलने के बाद नाथू सिंह के बेटे नाथू सिंह के घर के बाहर अपने घर लौट आया। हीम सिंह अपने ट्रैक्टर के सामने के टायर पर बैठा था, जिसने मुझे रोका और कहा कि आपको भंवर सिंह से कहना चाहिए कि मैं उसे ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल से मारकर मार दूंगा। मैंने हीम सिंह से कहा कि उसने क्या किया, आप उसे मारने के लिए क्यों कह रहे हैं। इस पर हीम सिंह ने मुझसे कहा कि वह मेरे घर के पीछे है, इसलिए अवैध है। उसी दिन नाथू सिंह की मृत्यु के बाद भंवर सिंह ने मुझसे कहा कि हीम सिंह ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है कि तुम मेरे पिता के अंतिम संस्कार में न आओ, इसलिए भंवर सिंह नाथू सिंह के अंतिम संस्कार में नहीं आया। जब भंवर सिंह को बताया गया कि हीम सिंह ने मुझसे क्या कहा, तो भंवर सिंह ने कहा कि हीम सिंह मुझे मार नहीं सकता, इसके बावजूद मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिस दिन मैंने गाँव में लगभग 6-7 बजे भंवर सिंह की मृत्यु के बारे में सुना, उस समय मुझे लगा कि भंवर सिंह की हत्या हीम सिंह ने या उनके माध्यम से की थी। आज भी कहते हैं

एक ही बात। "

मेरे माध्यम से हीम सिंह द्वारा भंवर सिंह को मार डालो और अभी भी संदेह है। 25. भंवर सिंह (एस. एच. ओ., देवगढ़) का साक्ष्य-उनका

एन. सी. ई. से पता चलता है कि प्रतिवादी ने शुरू में मृत्यु के लिए छुट्टी ली थी

साले भाई। यह निम्नलिखित प्रमाणों पर आधारित हैः

" श्री हीम सिंह नं. 642 ने अपने परिवार में अपने बहनोई की मृत्यु के कारण एक आकस्मिक अवकाश और एक जी. एच. के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया है, जिस पर मैंने मंजूरी दी। इसके बाद उक्त

सिपाही 19.08.02 पर मेरे सामने उपस्थित होने के बाद दाखिल किया गया [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंजूरी आदेश और निर्णय लेने के लिए अनुरोध करने वाला आवेदन

3 दिन की अनुपस्थिति पर, जिस पर मैंने मंजूरी आदेश पारित किया

सी. एल. के रूप में 3 दिनों की अनुपस्थिति के लिए मंजूरी।

26. नाना लाल (एस. एच. ओ., खमनौर) का साक्ष्य-उनके साक्ष्य से पता चलता है कि भंवर सिंह की मौत की जांच कर रही पुलिस ने जोधपुर पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 242 के तहत सी. ई. जोड़ा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जोध सिंह ने अपना रुख बदल दिया और अदालत ने, हालांकि, इसके लिए कोई औचित्य नहीं दिया। यह मैं निम्नलिखित साक्ष्य पर हूँः

" प्रारंभिक जाँच के आधार पर यह पाया गया कि हेम सिंह और मृतक भंवर सिंह के बीच गंभीर पूर्व शत्रुता थी। इस दुश्मनी के कारण हीम सिंह पुत्र नाथू सिंह राजपूत ने अपने चाचा भंवर सिंह की हत्या की साजिश रची। अपने साथियों इकबाल खान और लोकेश गौरवा के साथ सुनियोजित तरीके से और उसे ट्रैक्टर से मारकर और लोहे की छड़ से मारकर सिर पर चोट पहुँचाकर उसकी हत्या कर दी। फरद की जानकारी

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपी व्यक्तियों और ट्रॉली और लोहे की छड़ के साथ जीप और ट्रैक्टर बरामद किए जाते हैं। अभियुक्त व्यक्ति के कहने पर घटना स्थल का उल्लेख किया गया है। "
सवाल - 2. आपने आई. पी. सी. की धारा 304 ए और 279 के तहत 2 महीने तक जांच की है, चाहे उक्त अवधि के दौरान कोई भी न हो।

आपको बताया गया था कि भंवर सिंह की हत्या कर दी गई थी?

उत्तर-एक महीने की अवधि के दौरान गवाह बाबूदास ने 11.09.02 पर घटना स्थल पर 2 से 3 व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में बताया। सवाल - 3. क्या बाबूदास इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं

या नहीं?

जवाब-नहीं।

प्रश्न-4। क्या आपने 15.08.02 से एक महीने की इस अवधि के दौरान किसी चश्मदीद गवाह का बयान दर्ज किया है कि भंवर

सिंह की हत्या कर दी गई है?

जवाब-नहीं।

सवाल - 5. किसके बयान के तहत आपने आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध को बदल दिया?
उत्तर-जोध सिंह के बयान के कारण अपराध बदल जाता है।

सवाल - 6. क्या आप जानते हैं कि जोध सिंह ने अदालत के सामने यह नहीं कहा है कि मैंने पुलिस को हत्या के बारे में बताया है। बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे पीटकर बयान दिया और यह भी दर्ज किया गया है

अदालत के बयान में?

जवाब-जोध सिंह के बयान में यह भी आया कि उसने हत्या के बारे में प्रताप सिंह और पुलिस को बताया और बहस में गवाह जोध सिंह ने कहा कि पुलिस ने उसे पीटने की धमकी दी और फिर बयान दिया जो गलत है।

27. सुधीर जोशी (आर. पी. एस. उपाधीक्षक,

नाथद्वारा)-उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि हीम सिंह पर उठाए गए संदेह के कारण पुलिस की छवि धूमिल हुई है।

भंवर सिंह की हत्या में शामिल होना। यह निम्नलिखित प्रमाणों पर आधारित है:

" मेरे द्वारा की गई प्रारंभिक जाँच में सिपाही संख्या 642 श्री हीरन सिंह की गैरमौजूदगी और अपने साथियों के साथ मिलकर अपने चाचा की हत्या करने की साजिश रचने पर, जिसके कारण सिपाही की इस हरकत से जनता के बीच पुलिस की छवि धूमिल हो गई है और समाचार पत्रों और पुलिस पर विश्वास है।

सार्वजनिक रूप से संदिग्ध हो गया। "

28. साक्ष्य की पूरी समीक्षा से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी और भंवर सिंह के बीच पहले से ही शत्रुता थी। यह शत्रुता शुरू में भूमि विवाद के संदर्भ में उत्पन्न हुई थी। प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के बाद उनके बीच शत्रुता तेजी से बढ़ गई, जिसके लिए उन्होंने भंवर सिंह को दोषी ठहराया। यह स्पष्ट रूप से इस हद तक बढ़ गया कि प्रतिवादी ने खुले तौर पर भंवर सिंह को जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण भंवर सिंह ने प्रतिवादी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जहाँ भंवर सिंह का शव पीडब्लू1 जोध सिंह और पीडब्लू3 शंकर सिंह दोनों को मिला था। प्रतिवादी को समय पर सह-अभियुक्त निकटवर्ती में से एक के साथ पाया गया। इन परिस्थितियों को उस समय और उसके आसपास प्रतिवादी की गतिविधियों के साथ जोड़ा जाता है हत्या, हत्या के साथ दो दिनों के लिए छुट्टी पर गाँव में रहने के साथ शुरू होती है लेकिन सीमित नहीं है। यह सत्र मुकदमे में हत्या के आरोप में दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। लेकिन राज्य के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि कनेक्शन [2020] 13 एस. सी. आर.

घटना के प्रति प्रतिवादी की उपस्थिति उसके पुलिस बल की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगी और यह कि बल के सदस्य के रूप में प्रतिवादी की उपस्थिति लोक प्रशासन के हित में नहीं थी। सबूतों के आधार पर, क्या प्रतिवादी को भंवर सिंह की हत्या की साजिश में फंसाया जा सकता था, यह मामले का एक पहलू है। स्पष्ट रूप से आपराधिक मुकदमे के दौरान भी साजिश के आरोप को बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है। इससे पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्दा यह है कि क्या भंवर सिंह की मृत्यु की परिस्थितियों के साथ प्रतिवादी के संबंध ने राज्य पुलिस बल की अखंडता और प्रतिष्ठा को प्रभावित किए बिना राज्य पुलिस बल में बने रहने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया। बाद वाला पहलू वह है जिस पर खंड पीठ के फैसले में अपने तर्क में कमी पाई गई है।

एच 'संभावनाओं की प्रधानता' पर

29. एम. सिद्दीक बनाम। सुरेश दास 6, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 'संभावनाओं की प्रधानता' के मानक का वर्णन किया है।

निम्नलिखित शर्तें हैं:

" 720. दीवानी मुक़दमे में अदालत संभावनाओं की प्रधानता द्वारा नियंत्रित सबूत के एक मानक को लागू करती है। इस मानक को कभी-कभी संभावना के संतुलन या इसकी प्रधानता के रूप में भी वर्णित किया जाता है। सबूत।
साक्ष्य पर फिपसन मानक तैयार करता है

संक्षेप में: यदि इसलिए, साक्ष्य ऐसा है कि अदालत कह सकती है कि "हमें लगता है कि यह अधिक संभावित है", तो बोझ हटा दिया जाता है, लेकिन यदि संभावनाएं समान हैं, तो ऐसा नहीं है। [साक्ष्य पर फिपसन।] मिलर बनाम। पेंशन मंत्री [मिलर बनाम। पेंशन मंत्री, (1947) 2 ऑल ई. आर. 372], लॉर्ड डेनिंग, जे. (उस समय मास्टर ऑफ रोल्स के रूप में) ने संभावनाओं के संतुलन या प्रधानता के सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया: (सभी ई. आर. पी. 373 एच)

" (1) इसे निश्चितता तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए।

संभावना की डिग्री। उचित संदेह से परे सबूत

इसका मतलब संदेह की छाया से परे सबूत नहीं है। यह होगा कानून

समुदाय की रक्षा करने में विफल रहता है यदि वह न्याय के मार्ग को भटकाने की काल्पनिक संभावनाओं को स्वीकार करता है। यदि साक्ष्य किसी व्यक्ति के खिलाफ इतना मजबूत है कि उसके पक्ष में केवल एक दूरस्थ संभावना छोड़ देता है जिसे सजा के साथ खारिज किया जा सकता है, तो "निश्चित रूप से यह संभव है, लेकिन कम से कम संभावित में नहीं" मामला उचित संदेह से परे साबित होता है, लेकिन उससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। (जोर दिया गया)

6 (2020) 1 एस. सी. सी. 1 राजस्थान और ओ. आर. एस. का राज्य। वी. हेम सिंह [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

721. कानून मानता है कि संभावनाओं की प्रधानता के मानक के भीतर, संभावना की अलग-अलग डिग्री हो सकती है। इसे संक्षेप में डेनिंग, एल. जे. द्वारा बेटर बनाम में संक्षेपित किया गया था। बेटर [बेटर बनाम। बेटर, 1951 पी 35 (सी. ए.)], जहाँ उन्होंने सिद्धांत तैयार किया इस प्रकारः (पी। 37)

" ..... इसलिए दीवानी मामलों में भी, मामले को एक द्वारा साबित किया जाना चाहिए

संभावना की प्रधानता, लेकिन वहाँ की डिग्री हो सकती है उस मानक के भीतर संभावना। डिग्री इस पर निर्भर करती है

विषय-वस्तु "। (जोर दिया गया) अनुशासनात्मक जांच कदाचार के गंभीर आरोप पर बुलाई गई थी-कि पुलिस बल के सदस्य के रूप में प्रतिवादी ने छुट्टी पर रहते हुए हत्या का कार्य किया था। जैसा कि उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है, संभावनाओं की प्रधानता के मानक के भीतर भी, डिग्री विषय वस्तु पर निर्भर करती है।

I अनुशासनात्मक मामलों पर न्यायिक समीक्षा

30. अब हमें यह आकलन करना होगा कि क्या अपने निष्कर्षों पर पहुँचते हुए उच्च न्यायालय ने न्यायिक शक्ति की सीमाओं का उल्लंघन किया है। समीक्षा करें। मोनी शंकर बनाम। भारत संघ, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ को यह आकलन करना था कि क्या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने साक्ष्य की पुनः सराहना करके विभागीय जांच के निष्कर्षों को पलटकर न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का उल्लंघन किया था। न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में, न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 17. विभागीय कार्यवाही अर्ध-न्यायिक होती है। यद्यपि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान उक्त कार्यवाही में लागू नहीं होते हैं, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है।

सबूत का प्रासंगिक टुकड़ा लिया गया है विचार और अप्रासंगिक तथ्यों को बाहर रखा गया है

वहाँ से। तथ्यों पर निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। जो कानूनी सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। न्यायाधिकरण

इस प्रकार, इस आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने का हकदार था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, भले ही इसे इसके अंकित मूल्य पर पूरी तरह से सही माना जाए, आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रमाण का भार , अर्थात्, संभाव्यता की प्रधानता। अगर चालू है

7 (2008) 3 एससीसी 484 [2020] 13 एस. सी. आर.

इस तरह के साक्ष्य, आनुपातिकता के सिद्धांत का परीक्षण नहीं है

संतुष्ट होने पर, न्यायाधिकरण हस्तक्षेप करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में था। हम.

रिकॉर्ड पर रखना चाहिए कि अनुचितता का सिद्धांत है

आनुपातिकता के सिद्धांत को रास्ता देना। (यू. पी. बनाम की स्थिति देखें।

शिव शंकर लाल श्रीवास्तव [(2006) 3 एस. सी. सी. 276: 2006 एससीसी

(एल एंड एस) 521] और कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी समिति। बैंक वी. कर्मचारी संगठन। [(2007) 4 एससीसी 669: (2007) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 68] "

(जोर दिया गया)

31. विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णयों पर भरोसा रखा जो

यह स्पष्ट करें कि आपराधिक मामले में केवल बरी होने से प्रतिवादी विभागीय कार्यवाही में कदाचार के आरोप से मुक्त नहीं हुआ। एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि:

(i) विभागीय जाँच निम्नलिखित के अनुसार की गई थी -

कानून;

((ii) जाँच के दौरान जोध सिंह का बयान।

एक चश्मदीद गवाह के रूप में मुख्य रूप से आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित किया;

और

(iii) चूंकि हत्या का आरोप साबित हो गया है, इसलिए अन्य सभी आरोप

खड़ा हो गया।

32. डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के साथ गलती पाई

जोध सिंह के साक्ष्य को पूरी तरह से देखा है। पी. जॉन चांडी एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ। जॉन पी. थॉमस 3 ने कहा है:

इन-चीफ, क्रॉस-एग्जामिनेशन द्वारा परखा जाता है। अभ्यास शुरू करते समय डिवीजन बेंच ने

प्रथम अपीलीय न्यायालय के तरीके से साक्ष्य की सराहना की। निर्णय की यह आलोचना निराधार नहीं है।

33. अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए,

स्पेक्ट्रम के दो छोर। पहला संयम के नियम का प्रतीक है। दूसरा परिभाषित करता है कि कब हस्तक्षेप की अनुमति है। निरोध का नियम न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करता है। यह एक उचित कारण के लिए है। द.

8 (2002) 5 एस. सी. सी. 90 राजस्थान और ओ. आर. एस. का राज्य। वी. हेम सिंह [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

निष्कर्ष या दंड साक्ष्य या कदाचार के भार के अनुपात में नहीं है। न्यायिक कला इन दोनों तटों के तटों के बीच एक स्थिर पाल बनाए रखने में निहित है जिन्हें स्पेक्ट्रम के दो छोर कहा गया है। न्यायाधीश केवल हाथों के पाठ से आराम नहीं करते हैं। जब वे न्यायिक समीक्षा का अभ्यास करते हैं तो मंत्र को छोड़ देते हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुशासनात्मक जांच में निष्कर्ष कुछ साक्ष्यों पर आधारित है, प्रारंभिक या सीमा स्तर की जांच की जाती है। यह संतुष्ट करने के लिए है

अदालत की अंतरात्मा कि आरोप का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत हैं

दुराचार और विकृति से बचाव के लिए। लेकिन यह अदालत को अनुशासनात्मक जांच में साक्ष्य संबंधी निष्कर्षों की पुनः सराहना करने या न्यायाधीश को अधिक उपयुक्त प्रतीत होने वाले दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं देता है।

ऐसा करने से ऊपर बताए गए पहले सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अंतिम मार्गदर्शक मजबूत सामान्य ज्ञान का अभ्यास है जिसके बिना न्यायाधीशों की कला व्यर्थ है।

जे. दोषमुक्तिक प्रभाव

34. वर्तमान मामले में, हम हत्या के आरोप में आपराधिक मुकदमे में बरी हो गए हैं। सत्र न्यायालय का निर्णय [2020] 13 एस. सी. आर. का प्रतिबिंब है।

आपराधिक न्याय के प्रशासन की अनिश्चितताओं की। फैसले में शत्रुतापूर्ण गवाहों की एक सूची शामिल है, और स्टार गवाह अपने बयानों से फिर से दर्ज करता है। हमारे उदाहरण इंगित करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक मुकदमे में बरी होने से अनुशासनात्मक जांच समाप्त नहीं होती है। में।

दक्षिणी रेलवे अधिकारी संघ बनाम भारत संघ ', इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

अनुशासन द्वारा लगाए गए दंड के आदेश में हस्तक्षेप करना प्राधिकरण। उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि उक्त तथ्य नहीं था

ध्यान में रखा गया है। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने ऐसा किया। यह.

अब कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि

बर्खास्तगी तब भी पारित की जा सकती है जब अपराधी अधिकारी ने

आपराधिक आरोप से बरी कर दिया गया। "

(जोर दिया गया)

पुलिस महानिरीक्षक बनाम। एस. समुथिरम 1, ए टू

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक अभियुक्त को अपने आपराधिक मुकदमे में "सम्मानजनक बरी" नहीं किया जाता है, जब तक कि गवाहों के प्रतिकूल होने या तकनीकी कारणों से बरी होने के विपरीत, बरी होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही में निर्णय प्रभावित नहीं होगा और यह स्वतः ही हो जाएगा।

पुनर्स्थापना। लेकिन सार या प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले दंडात्मक कानून "सम्मानजनक बरी" का संकेत नहीं देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहाः

" सम्मानजनक दोषमुक्ती

24. "सम्मानजनक बरी" अभिव्यक्ति का अर्थ आया

भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए। भोपाल सिंह

पांचाल [(1994) 1 एस. सी. सी 541: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 594: (1994) 26 एटीसी 619]। उस मामले में, इस न्यायालय ने इसके प्रभाव पर विचार किया है

किसी अपराधी द्वारा सम्मानजनक बरी किए जाने से संबंधित विनियम 46 (4)

अनुशासनात्मक कार्यवाही पर न्यायालय। उस संदर्भ में, यह न्यायालय अभिनिर्धारित किया कि केवल बरी होने से कर्मचारी को अधिकार नहीं मिलता है

सम्मानित होने के लिए। अभिव्यक्तियाँ "सम्मानजनक बरी", " दोषमुक्त "," पूरी तरह से दोषमुक्त "अज्ञात हैं

दंड प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता, जो

न्यायिक घोषणाओं द्वारा गढ़ा जाता है। इसे परिभाषित करना मुश्किल है।

9 9 (2009) 9 एससीसी 24

10 (2013) 1 एस. सी. सी. 598 राजस्थान और ओ. आर. एस. का राज्य। वी. हेम सिंह [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

सटीक रूप से "सम्मानपूर्वक बरी" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूरा विचार करने के बाद अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है और अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा था

अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाए जाने पर संभवतः यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था। 25. आर. पी. कपूर बनाम भारत संघ [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 787] ने यह अभिनिर्धारित किया कि बरी होने के मामले में भी, विभागीय कार्यवाही का पालन किया जा सकता है जहां बरी होना सम्मानजनक के अलावा अन्य है। असम राज्य में v. राघव राजगोपालाचारी [1972 एस. एल. आर. 44 (एस. सी.)] इस न्यायालय ने रॉबर्ट स्टुअर्ट वाउचोप बनाम में लॉर्ड विलियम्स, जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया। सम्राट [आई. एल. आर. (1934) 61 कैल 168] जो इस प्रकार हैः (राघव मामला [1972 एस. एल. आर. 44 (एस. सी.)], एस. एल. आर. पी. 47 , पैरा 8)

" 8. ..... " "सम्मानपूर्वक बरी" अभिव्यक्ति वह है जो न्याय की अदालतों के लिए अज्ञात है। जाहिरा तौर पर यह कोर्ट मार्शल और अन्य गैर-न्यायिक न्यायाधिकरणों में उपयोग किए जाने वाले आदेश का एक रूप है। हमने अपने फैसले में कहा कि हम अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हैं, इसे सच मानते हैं और मानते हैं कि इसे सरकारी अधिकारियों और मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, हमने निर्णय लिया कि अपीलार्थी ने आरोप में निर्दिष्ट धन का दुरुपयोग नहीं किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे निर्णय का प्रभाव यह था कि अपीलार्थी को पूरी तरह से और पूरी तरह से बरी कर दिया गया था ताकि उसे बरी किया जा सके। संभवतः, यह सरकारी अधिकारियों द्वारा "सम्मानपूर्वक बरी" किए जाने के बराबर है। " (रॉबर्ट स्टुअर्ट मामला [आईएलआर (1934) 61 कैल 168], आईएलआर पीपी। 188-89)

26. जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, बहाली के लिए सेवा नियमों में किसी भी प्रावधान के अभाव में, यदि कोई कर्मचारी सम्मानपूर्वक है

आपराधिक अदालत द्वारा बरी किए जाने पर कर्मचारी को बहाली सहित किसी भी लाभ का दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। कारण यह है कि आपराधिक अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने और अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से की जाने वाली जांच के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक पूरी तरह से अलग है। आपराधिक मामले में, अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर होती है और यदि वह उचित संदेह से परे अपराध को स्थापित करने में विफल रहता है, तो अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है। यह तय कानून है कि आपराधिक अदालत में अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत के सख्त बोझ की आवश्यकता नहीं है [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक अनुशासनात्मक कार्यवाही और की प्रधानता में

संभावनाएँ पर्याप्त हैं। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ

व्यक्ति को तकनीकी कारणों या अभियोजन पक्ष से बरी कर दिया जाता है

कुछ अन्य गवाहों के बाद से अन्य गवाहों को छोड़ना शत्रुतापूर्ण हो गए, आदि। हाथ में मामले में अभियोजन पक्ष ने नहीं किया

कि शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी शत्रुतापूर्ण हो गए। अदालत ने, इसलिए, संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर दिया। हम.

यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि तत्काल मामले में, प्रतिवादी आपराधिक अदालत द्वारा सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था और भले ही ऐसा हो,

वह तमिलनाडु के बाद से बहाली का दावा करने का हकदार नहीं है।

सेवा नियम ऐसा प्रदान नहीं करते हैं।

(जोर दिया गया)

35. वर्तमान मामले में प्रतिवादी को आरोप से बरी कर दिया गया था

भंवर सिंह की मृत्यु से जुड़ी साजिश में प्रतिवादी को साबित करना मुश्किल होगा। लेकिन, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के अभिलेख से ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं जो राज्य के इस तर्क की वैधता कि ऐसे कर्मचारी को सेवा में फिर से बहाल करने से पुलिस बल की विश्वसनीयता और छवि में जनता का विश्वास कम हो जाएगा।

के निष्कर्ष 36. इसलिए, पुनर्स्थापना के लिए खंड पीठ का निर्देश

अलग रखा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी करने वाले प्रतिवादी पर सेवा से समाप्ति अनुमानित रूप से होगी। उच्च न्यायालय के इस निर्देश को बरकरार रखा गया है कि प्रतिवादी मजदूरी वापस करने का हकदार नहीं होगा। प्रत्यर्थी के सेवानिवृत्ति बकाया की गणना की जाएगी और तीन महीने की अवधि के भीतर इस आधार पर जारी किया जाएगा।

37. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। इस बारे में कोई आदेश नहीं लागतें।

38. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान